फर्द अहकाम

श्रीमती सुशीला बनाम गोपाल लाल व अन्य

न्यायालय

[illegible] 81/2023 पाठ

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		द्वारा वादी का पाठ स्वीकार किया जाकर प्रा. डिक्री किया जाता है। [illegible] हेतु के लिखा जाकर आदेश पत्रावली किया गया। तहसीलदार चौमू को कमिशन हेतु लिखा जाकर पत्रावली वास्ते वास्ते तलबआवरी कमिशन हेतु दिनांक 25/11/24 को पेश हो। [signature]	
	25/11/24	वकीलों [illegible] / कार्य [illegible] दिनांक 9/1/25 को पेश हो [signature]	
	9/1/25	कु. वादी उप. तहसीलदार चौमू से कमिशन रिपोर्ट अप्राप्त है पुनः लिखा जाकर पत्रावली वास्ते तलबआवरी कमिशन हेतु दिनांक 27/1/25 को पेश हो।	
	27/1/25	प. वादी उप. तहसीलदार चौमू की कमिशन प्राप्त हुई होकर शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] वादी मुताबिक कमिशन अंतिम डिक्री लिखे जाने की सहमति जाहिर की गई है अतः [illegible] कमिशन के वादी [illegible] अंतिम डिक्री किया [illegible] के [illegible] किया [illegible] होकर [illegible] का [illegible] है। [signature]	Signature Not Verified Digitally signed by Kanak Jain Date: 2025.06.05 14:54:13 IST Reason: SelfAttested

जी... जयपुर (ग्रामीण)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–81/2023

उनवान

सुशीला देवी पत्नी श्री हनुमानसहाय जाति बलाई निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीया–

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र नारायण लाल जाति अहीर, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. उप पंजीयक चौमूं, उपंपजीयक कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबततकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक :–27.01.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.2024 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 13.01.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खाता संख्या 121 जिसके आराजी खसरा नम्बर 434 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर वाके ग्राम हाडोता पटवार हल्का हाडोता भू0अ0नि0क्षै0 उदयपुरिया तहसील चौमूं जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:13 IST
Reason: SelfAttested

1. गोपाललाल पुत्र नारायणलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति अहीर, सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 434/1 रकबा 0.0750 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0750 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

2. सुशीला देवी पत्नि हनुमानसहाय जाति बलाई सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 434/2 रकबा 0.0150 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0150 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:13 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा सं0–81/2023
उनवान–सुशीला देवी बनाम गोपाललाल वगै0
निर्णय दिनांक–27.01.2025

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–81/2023

उनवान

सुशीला देवी पत्नी श्री हनुमानसहाय जाति बलाई निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीया–

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र नारायण लाल जाति अहीर, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. उप पंजीयक चौमूं, उपंपजीयक कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबततकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–81/2023

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

1. गोपाललाल पुत्र नारायणलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति अहीर, सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 434/1 रकबा 0.0750 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0750 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. सुशीला देवी पत्नि हनुमानसहाय जाति बलाई सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 434/2 रकबा 0.0150 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0150 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाबी तक .... को अदा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:13 IST
Reason: SelfAttested

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.01.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा..........
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

मुकदमा सं० 81/2023
उनवान- सुशीला देवी बनाम गोपाललाल वगै०
निर्णय दिनांक- 27.01.2025

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

सहायक

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:13 IST
Reason: SelfAttested